फर्द अहकाम

[नियम 26]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	तारीख निर्णय
1 / 156	24.11.2021	15.10.2024

बउनवान

1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 नन्दकिशोर उर्फ नरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा।

––वादी

बनाम

1. ब्रजनन्दन पुत्र स्व0 नारायण बिहारी जाति ब्राहमण
2. नरेन्द्र पुत्र स्व0 नारायण बिहारी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा
3. तहसीलदार तहसील मालाखेडा

––असल प्रतिवादीगण

4. उर्मिला पुत्री हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा
5. घनश्याम पुत्र हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा
6. राधेश्याम पुत्र हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा
7. रामेश्वरी पुत्री हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा
8. हरीनारायण पुत्र हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा

––तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
88,188 राज0काश्त0अधि0 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधान
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रज्जन कुमार सिद्ध
   श्री योगेश चन्द शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

फर्द अहकाम

[नियम 26]

निर्णय

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.96 है0 खसरा नम्बर 156 रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 168 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नम्बर 264 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम बालेटा तह0 मालखेडा जिला अलवर मे स्थित है जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण से पूर्व वादी के दादा स्व0 रामचन्द्र की आराजी थी। रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात रामचन्द्र के वारिसान के रूप मे नंदकिशोर व हरदयाल दोनो ही उपरोक्त विवादित जायदाद मे अपने अपने 1/2 1/2 हिस्से पर पूरे जीवन काबिज रहे। नंदकिशोर के नारायण बिहारी व कैलाश चन्द दो वारिसान हुये। वादी कैलाश चन्द द्वारा स्व0 नंदकिशोर द्वारा की गई सेवा देखभाल से प्रसन्न होकर स्व0 नंदकिशोर ने अपने 1/2 हिस्से को वादी को जरिये वसीयत दिनांक 08.02.1970 भेट कर दिया। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा राजस्व घोषणात्मक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.96 है0 खसरा नम्बर 156 रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 168 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नम्बर 264 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम बालेटा तह0 मालाखेडा जिला अलवर के 1/2 हि0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व जरिये निषेद्याज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वकील प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद मे वादी ने अपना हक वसीयत के आधार पर बताया हैं तथा उक्त आधार पर ही अपना हक बताया है जो कि निराधार हैं। खसरा नम्बर 156, 168, 264 कुल रकबा 1.09 है0 मे वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज नरेन्द्र कुमार के हिस्से मे 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतिवादी अपने हिस्से पर काबिज है व कब्जा काश्त कर रहे है। ख0न0 1104 रकबा 0.96 है0 मे प्रतिवादी के दादा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो 1/2 हि0 है। उस पर प्रतिवादी नियमानुसार विवादित भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे है। वसीयत ना तो रजिस्टर्ड है ना ही श्रीमान न्यायालय को वसीयत के आधार पर वाद का निस्तारण करने का अधिकार है। वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये जवाब प्रस्तुत किया कि आदेश 7 नियम 11 के कौनसे सबक्लॉज अर्थात क, ख, ग, घ, ड, मे से पेश किया है। ऐसा दर्ज नही किया है। जबकि प्रार्थना पत्र मे वकील प्रतिवादी को माननीय न्यायालय मे बताना पडेगा इसलिये प्रारम्भिक रूप से ही प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी राजस्व रिकॉर्ड मे रजिस्टर्ड काश्तकार खातेदार है। जिसका जमाबंदी मे अंकन है। वसीयत दिनांक 08.02.1970, 23.02.1978 वादी के पिता स्व0 नन्दकिशोर ने अपने 1/2 हिस्से की वादी के पक्ष मे की जिस पर वादी के भाई स्व0 नारायण बिहारी के बतौर सहमति हस्ताक्षर है। 1/2 हिस्सा नन्दकिशोर उर्फ नरेन्द्र एवं 1/2 हिस्से मे हरदयाल है। जिसमे 1/2 सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत स्व0 नन्दकिशोर ने वादी कैलाश चन्द के हक मे की है। वसीयत कानूनन सादा कागज पर भी मान्य है। आदेश 7 नियम 11 व उसके सबक्लॉज क, ख, ग, घ, ड, कानून व विधि से साबित होते है न की तथ्य से इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र केवल और केवल विधि आधारित है। इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र विधि से परे होने पर खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे कथन किया कि वसीयत पर अंगुठा निशानी अंकित है जबकि ये पोस्ट ऑफिस मे सरकारी नौकरी करते थे। वसीयत के आधार पर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे नही लाया जा सकता। वसीयत के आधार पर न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का अधिकार नही है। वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा हडपने की चाह मे दावा किया है। वसीयत का सिविल कोर्ट मे वाद चल रहा है। अतः वाद पत्र न्यायालय मे विचारणीय नही होने से खारिज योग्य है।

वकील अप्रार्थी वादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादी कैलाश चन्द शर्मा के नाम का खसरा नम्बर 1104 का जमाबंदी मे अमल आ चुका है। इनके प्रार्थना पत्र मे ऑर्डर 7 रूल्स 11 के सबक्लॉज का उल्लेख नहीं है। वादी रजिस्टर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। दावा खारिज होने योग्य नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिवचनों तथा बहस पर मनन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण मे दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय अनुसार निम्न छः आधारो पर वाद पत्र खारिज किये जाने के प्रावधान बताये गये हैः—

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नही किया जाना।
2. वाद पत्र मे अनुतोष के मूल्य की वास्तविकता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटि पूर्ण गणना को दुरूस्त नही करना ।
3. वाद पत्र मे अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नही लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटि पूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नही करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहुप्रतिलिपियों मे प्रस्तुत नही किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 के प्रावधानों की अनुपालना करने मे विफल होना।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Dr. L.Ramachandran vs K.Ramesh मे दिनांक 07.09.2015 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के 7 नियम 11 के उद्देश्य/क्षेत्र के संबंध मे निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया हैः—

The scope of Rule 11 of order 7 CPC has been explained in various and the legal principle deducible are that,if the Plaint does not disclose the cause of action or is barred by law;can be rejected where the litigation was utterly vexatious and abuse of process of court ; if any one of the conditions mentioned under the rule were found to exist , thus saving the defendents onerous and hazardous task of contesting a non-maintainable suit during the course of protracted litigation and

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

where the suit was instituted without proper authority.Thus, the provision of order 7 rule 11 CPC being procedural is designed and aimed to prevent vexatious and frivolous litigation.The plaint is liable to be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law and the law within the meaning of clause (d) of order 7 rule 11 CPC, shall include law of limitation as well.

ाननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय केसी लक्ष्मण बनाम केसी चंद्रप्पा गौडा व अन्य दिनांक 9.04.2022 (सिविल अपील नम्बर 2582, 2010) के दृष्टान्त इस प्रकार है किः—

A Hindu father or any other managing member of a HUF has power to make gift of ancestral property only for a pious purpose – term 'pious purpose' is a gift for charitable and/or religious purpose –A deed of gift in regard to the ancestral property executed 'out of love and affection' does not come within the scope of the term 'pious purpose'.

भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 213(1) के अनुसारः—

"किसी भी न्यायालय मे निष्पादक या वसीयतदार के रूप मे कोई अधिकार स्थापित नही किया जा सकता, जब तक की भारत मे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने उस वसीयत को प्रोबेट ना कर दिया हो, जिसके तहत अधिकार का दावा किया गया है, या वसीयत के साथ या वसीयत की प्रमाणित प्रति की प्रति के साथ प्रशासन पत्र प्रदान ना कर दिया हो"

चूँकि वादी द्वारा पत्रावली में वसीयत के आधार पर आराजी खसरा नम्बर हाल 1104 रकबा 0.96 है0, 156 रकबा 0.18 है0, 168 रकबा 0.24 है0, व 264 रकबा 0.67 है0 के 1/2 हि0 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि है, किन्तु वसीयत की प्रमाणिकता सिविल न्यायालय मे ही विचारणीय है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के क्लॉज (ए) वाद हेतुक प्रकट ना होना तथा क्लॉज (डी) विधि द्वारा वर्जित होना के तहत वाद पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के वाद पत्र नामंजूर करने की दशाओं मे (ए) वाद हेतुक प्रकट ना होना तथा क्लॉज (डी) विधि द्वारा वर्जित होने के आशय पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आंज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)
मालाखेड़ा